

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
आविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला—टॉक (राजस्थान) — 304501

पंजीकृत

क्रमांक: 6(183)एस0पी0 / 2008 / वोल—प्रथम /

दिनांक: 31.08.2021

निमित्त—

MR JMD INFRA,
Soda, Diggi, Malpura
Tonk (Raj.) -304504

मो०न०— 7742838060

विषय :— संस्थान के नकारा/अतिरिक्त जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा बकरियों) को उठाने निष्पादन अनुबंध के क्रम में।

सदर्भ :— टेण्डर आई.डी—2021_DARE_637263_1 एवं Bid ID-2347997/ 26.07.2021 व नेगोशियेशन दिनांक 05.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के नकारा/अतिरिक्त जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरियों) को उठाने, निष्पादन का कार्य अनुबंध के लिए आप द्वारा प्रस्तुत संदर्भित निविदा/बीड एवं नेगोशियेशन में दी गई उच्चतम दरों को निदेशक महोदय ने निम्न नियम एवं शर्तों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। अनुबंध दरों का पूर्ण विवरण निम्न अनुसार है :—

क्र.सं.	मद का नाम	नकारा/अतिरिक्त जीवित जानवर प्रति किलोग्राम (रूपयों में)
1.	बकरा (स्वस्थ जानवर)	199.00
2.	बकरी (स्वस्थ जानवर)	127.00
3.	बकरा, बकरी (कमजोर जानवर)	81.00
4.	मेढ़ा (स्वस्थ जानवर)	161.00
5.	भेड़ (स्वस्थ जानवर)	121.00
6.	भेड़, मेढ़ा (कमजोर जानवर)	81.00

कटौतियाँ :—

- स्वास्थ्य विभाग, पशुपोषण विभाग,शरीर किया विभाग से ॉनलाईन भुगतान करके उठाने नकारा /अतिरिक्त जानवरों (भेड़ मेढ़ा,बकरा,बकरी) संस्थान से समय समय पर सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को अधिकारी / प्रभारी ,भेड बकरी सेक्टर पशुधन फार्म अनुभाग ,एव पशु होंगे। आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष/मोबाइल पर कभी भी इस कार्य के लिये बुलाया जा सकता है। नकारा /अतिरिक्त जानवरों (भेड़ मेढ़ा,बकरा,बकरी) के लिय दूरभाष/मोबाइल पर सूचित करने के उपरान्त समय पर नहीं उठाये जाने पर जानवरों की मुत्यु हो जाने पर उक्त जानवर की बुक वेल्यू ठेकेदार से नकद वसूल की जावेगी ।
- ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी ।
- ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी । इस सम्बन्ध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा ।
- कार्य निर्देशनसुर समय पर पूर्ण नहीं होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
- ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेकेदार की समयावधि से पूर्व भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें :—

- अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.09.2021 से 31.08.2022 तक एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।
- अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।

8. सफल ठेकेदार स्वयं की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वयं रोजाना अध्यक्ष, ए.जी.बी. से सम्पर्क करेंगे तथा अनुबन्ध का कार्य अध्यक्ष के दिशा-निर्देशानुसार सुचारू-रूप से करते रहेंगे ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता है।
9. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
10. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
11. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा तथा भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर ए.जी.बी. में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाइल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
14. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
15. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
17. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
18. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Manual for Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होंगे।
19. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी(क्य)

वितरण:-

1. आहरण एवं सवितरण अधिकारी
2. लेखा एवं अंकेक्षण अनुभाग
3. विभागाध्यक्ष पशु अनुवाशिक एवं प्रजनन विभाग
4. प्रभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग
5. प्रभारी, पशु शरीर किया विभाग
6. प्रभारी, पशु स्वास्थ्य विभाग
7. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को सूचनार्थ
8. प्रभारी, ए0के0एम0यू0
9. सतकर्ता अधिकारी
10. निदेशक महोदय